

ऑपरेशन धरपकड़ में 11 वारंटी गिरफ्तार

कार्रवाई

श्रावस्ती। वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ओर से ऑपरेशन धरपकड़ चलाया जा रहा है। जिसके तहत पुलिस ने 11 वारंटियों को गिरफ्तार किया। शनिवार को कोतवाली भिनगा, थाना गिलौला, थाना गिरण्ट, थाना सिरसिया, थाना सोनवा व थाना मल्हीपुर पुलिस की ओर से अभियान चलाया गया। जिसमें पुलिस ने 11 वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

कच्ची शराब के साथ दो गिरफ्तार : श्रावस्ती। अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे

अभियान में पुलिस ने कच्ची शराब के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोतवाली भिनगा की पुलिस टीम शुक्रवार शाम को क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने पिंटू पुत्र रामसमुझ निवासी भौसावा थाना गिलौला को पांच लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। इसी तरह थाना मल्हीपुर पुलिस ने राजेश उर्फ आलू पुत्र काली प्रसाद निवासी भरथाबेलभरिया कोतवाली भिनगा को नौ लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया।

हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास

जासं • श्रावस्ती : लाठी-डंडा व भाला से हमला कर हत्या करने के तीन दोषियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम मिलन सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर पांच माह का अतिरिक्त कारावास

• 20-20 हजार रुपये लगाया गया अर्थदंड

• अर्थदंड अदा न करने पर पांच माह का अतिरिक्त कारावास

न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को दोषसिद्ध ठहराते हुए सजा सुनाई है।

जहर देकर मारने के दोषियों को कैद : जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केपी सिंह ने बताया कि मल्हीपुर क्षेत्र के लक्ष्मणपुर कोटी निवासी बच्चाउवा को मुकदमे में सुवृत्त नष्ट करने के उद्देश्य से 28 जनवरी 2012 को गांव निवासी श्यामलाल, मुसेली व मुंशी ने जहर देकर मार डाला था।

पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट पर प्रस्तुत किया। विचारण व सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दो आरोपियों को दोष सिद्ध ठहराते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। तीन-तीन हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा। किस के दौरान आरोपित मुंशी को मौत हो गई थी।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केपी सिंह ने बताया कि गिलौला क्षेत्र के पंडितपुरवा कोटी मुबारकपुर गांव निवासी ननकू थाना क्षेत्र के ही भाजरे गांव में 28 अगस्त 2013 को जन्माष्टमी देखने के गए थे। इसी दौरान पुतनी रजिशा को लेकर पंडितपुरवा कोटी मुबारकपुर गांव के ही संजय कुमार पाठक, लखिया उर्फ राम हरखर व राजभर ने अपने साथियों के साथ लाठी-डंडे व भाले से हमलाकर ननकू को हत्या कर दी थी। इस मामले में मृतक के भाई पुल्लू उर्फ हेमंत कुमार की तहरीर पर गिलौला थाने में हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने शिवचन के बाद आरोप पत्र न्यायालय पर प्रस्तुत किया। विचारण व सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र